पत्र संख्या:अपर आयुक्त(पुलिस)/उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह PNO 860550035/2022-23// 77 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(पुलिस- कैम्प)

दिनांक:: लखनऊ:: 10 मई,2022

-::आदेश::-

उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 पुत्र स्व0 कृपाल सिंह पता- ग्राम- अमनीपुर पो0-फैलास थाना- अमरोहा देहात, जनपद -अमरोहा मो0 नं0- 9719256351, 8630241041 को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या डीजी-चार-स्था-113)/2021/148 दिनॉक 25-03-2021 द्वारा गहन जनपद बदायू से (02) वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री सुरेन्द्र सिह द्वारा दिनॉक 02-07-2021 को वाणिज्य कर मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिन्हें वाणिज्य कर मुख्यालय के आदेश संख्या-192 दिनॉक 06-07-2021 द्वारा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ कार्यालय में सम्बद्ध किया गया था।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ के पत्र संख्या-2064 दिनांक 22-01-2022 द्वारा उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 के बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। तत्क्रम में वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्र संख्या- 579 दिनांक 28-01-2022 एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 को उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें कि क्यो न उनके अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उनके मूल विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया जाय तथा उसकी प्रति पंजीकृत डाक से उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 पुत्र स्व कृपाल सिंह पता- ग्राम- अमनीपुर पो0-फैलास थाना- अमरोहा देहात, जनपद -अमरोहा मो0 नं0- 9719256351, 8630241041 को भी प्रेषित की गयी थी। उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह के द्वारा पत्र का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। तत्क्रम में दिनांक 28-01-2022 को वाणिज्य कर मुख्यालय से उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 के मो0 नं0- 9719256351 पर सम्पर्क कर उनके अनुपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तब उनके द्वारा बताया गया कि वह बीमार है। दिनांक 01-02-2022 को दूरभाष नं0-7235002186 पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर अलीगढ़ जोन अलीगढ़ से हुई वार्ता के क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई भी लिखित सूचना अलीगढ़ कार्यालय में नहीं दी गयी है और न ही अपनी बीमारी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। सिर्फ दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि वह बीमार है। उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित चल रहें हैं।

ज्ञातव्य हो कि उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 द्वारा वाणिज्य कर मुख्यालय एवं अपने तैनाती जोन अलीगढ़ को लगभग 04 माह बाद जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा एवं मैक्स हेल्थ केयर वैशाली के पर्चे की छायाप्रति प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य लाभ होने पर समस्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित होंगे। नियमानुसार उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह को अपनी बीमारी से सम्बन्धित सूचना तत्समय अपने तैनाती कार्यालय / जोन कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा ऐसा न करके वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा इनसे इनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में दूरभाष पर सम्पर्क किये जाने के उपरान्त अपनी बीमारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जानबूझ कर कार्यालय से अनुपस्थित हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मी 02 वर्ष की अल्प अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य कर विभाग में तैनात किये जाते है। ऐसे में बिना सूचना के कई माह ड्यूटी/ कार्यालय से गायब रहने से राजकीय कार्य प्रभावित होता है तथा बिना युक्ति-युक्त कारण के उपस्थित न होना कर्तव्य की उपेक्षा है जो कर्मचारी आचरण नियमावली का घोर उल्लघन है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक भी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 के अनुपस्थिति /बीमारी के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक जनपद- बदायूं के स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर इनकी बीमारी की जांच कराने के तत्पश्चात अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जनपद- बदायूं के स्तर से ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा श्री सिंह द्वारा अपनी बीमारी का सुचारू एवं समुचित इलाज मूल विभाग में रहकर कराये जाने के लिए इनकी वाणिज्य कर विभाग से 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को तत्काल प्रभाव से मध्य में समाप्त / निरस्त करते हुए इनको मूल विभाग प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यमुक्त / वापस किया जाता है।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को आयुक्त राज्य कर महोदया के अवलोकनार्थ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पुलिस कर्मी की राज्य कर विभाग में की गयी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का कष्ट करें।

3- पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कृपया उनके कार्यालय के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था-113)/2021/148 दिनॉक 25-03-2021 के सन्दर्भ में ।

4- पुलिस उपाधीक्षक स्थापना नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक,कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- पुलिस अधीक्षक जनपद- बदायूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 के अनुपस्थिति /बीमारी के सम्बन्ध अपने स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर इनकी बीमारी की जांच कराने के तत्पश्चात इनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक)

7- अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिह, पी0एन0ओ0-860550035 पुत्र स्व कृपाल सिंह पता- ग्राम- अमनीपुर पो0-फैलास थाना- अमरोहा देहात, जनपद -अमरोहा मो0 नं0- 9719256351, 8630241041 को दि0 11-05-2022 के पूर्वान्ह से कार्यमुक्त करते हुए उनकी सूचना दूरभाष / व्हाट्सएप/ रजिस्टर्ड डाक से पुलिस कर्मी को तामील कराने के साथ ही उस आदेश की एक प्रति विशेष वाहक द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद- अमरोहा कार्यालय के माध्यम से पुलिस कर्मी को तामील कराते हुए तामीली की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

8- उप आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ की पुलिस कर्मी के अभिलेख अद्यतन कराकर तत्काल पुलिस अधीक्षक जनपद- बदायूं को प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

9- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

10/05/2022

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।